रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2655] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 12, 2018/आषाढ़ 21, 1940
No. 2655] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 2018/ASHADHA 21, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2018

का.आ. 3424(अ).—केंद्रीय सरकार, मसाला बोर्ड नियमावली, 1987 के नियम 4 के उप नियम (I) के खंड (क) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 3 की उप – धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति को मसाला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके नाम के आगे विनिर्दिष्ट 03 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करती है और इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की दिनांक 26 फरवरी 1987 की अधिसूचना संख्याक का. आ. 123 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:

''1.	श्री सुभाष बसु पुथेननीत्तिल, दक्षिण मोनकुझी, पुल्लीकनक्कू, पो.आ. कायमकुलम, अलापुझा, केरल ' 690537	अध्यक्ष (वे पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्शों की अवधि के लिए अथवा बोर्ड की अवधि के साथ को–टर्मिनस आधार पर या अगले आदे ाों तक के लिए, उनमें से जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे।)''

[फा. सं. 5/10/2016–बागान–घ]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्याक का. आ. 123 (अ), तारीख 26 फरवरी 1987 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित संख्यांकों द्वारा संशोधन किये गये :

(1) का. आ. 1189 (अ), दिनांक 21.07.2006 ;

(2) का. आ. 424 (अ), दिनांक 04.03.2008 ;

(3) का. आ. 2161 (अ), दिनांक 05.09.2009 ;

(4) का. आ. 937 (अ), दिनांक 08.04.2009 ;

(5) का. आ. 3081 (अ), दिनांक 03.12.2009 ;

(6) का. आ. 32 (अ), दिनांक 07.01.2010 ;

(7) का. आ. 1439 (अ), दिनांक 15.06.2010 ;

(8) का. आ. 8 (अ), दिनांक 03.01.2011 ;

(9) का. आ. 501 (अ), दिनांक 10.03.2011 ;

(10) का. आ. 327(अ), दिनांक 03.02.2014 ;

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2018

S. O. 3424(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section 3 of section 3 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986) read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 4 of the Spices Board Rules, 1987, the Central Government hereby appoints the following person as Chairman of Spices Board for a period of three years specified against his name and for that purpose make the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce), number S.O. 123 (E), dated the 26th February, 1987, namely:-

In the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

"1.	Shri Subhash Vasu, Puthenveettil, South Monkuzhi, Pullikkanakku P.O., Kayamkulam, Alappuzha, Kerala- 690537.	- Chairman (He shall hold office for a period of three years w.e.f. the date of assumption of charge of the post or on co-terminus basis with the tenure of the Board, or until further orders, whichever is earliest)".

[F. No.5/10/2016-Plant-D]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide notification number S.O. 123 (E), dated the 26th February, 1987 and subsequently amended by the following numbers: -

(1) S.O. 1189 (E), dated 21.07.2006;
(2) S.O. 424 (E), dated 04.03.2008;
(3) S.O. 2161 (E), dated 05.09.2009;
(4) S.O. 937 (E), dated 08.04.2009;
(5) S.O. 3081 (E), dated 03.12.2009;
(6) S.O. 32 (E), dated 07.01.2010;
(7) S.O. 1439 (E), dated 15.06.2010;
(8) S.O. 8 (E), dated 03.01.2011;
(9) S.O 501 (E), dated 10.03.2011;
(10) S.O. 327 (E), dated 03.02.2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.07.14 14:26:14 +05'30'